16-08/2014-डीआरसी/सीसीपीडी (भाग खंड II)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली -03

दिनांक 27th नवम्बर, 2024 20

परिपत्र

विषय - दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (सीसीपीडी) के पद के लिए रिक्ति परिपत्र।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. पद का नाम: मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन

2. मुख्यालय: नई दिल्ली

3. वेतनमान: भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य अनुसार वेतन मान और भत्ते। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था के अनुसार वेतनमान और वर्तमान वेतन 2,25,000/- रुपये प्रति माह (नियत) है।

जहां मुख्य आयुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्थान या स्वायत्त निकाय का ऐसा सेवारत कर्मचारी हो, और जो ऐसी पिछली सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो इन नियमों के तहत उसे स्वीकार्य वेतन से वह पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी, और यदि उसने पेंशन के एक हिस्से के बदले में, उसका परिवर्तित मूल्य (कम्यूटेड वैल्यू) प्राप्त कर लिया है, तो उस पेंशन के ऐसे परिवर्तित (कम्यूटेड) हिस्से की राशि भी कम कर दी जाएगी।

4. आयु सीमा: 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि यह इसके तहत क्रम सं. 7 में उल्लिखित प्रावधान के अधीन हो।

5. शैक्षिक योग्यता: देबाला

I. अनिवार्य: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।

II वांछनीय: सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. अनुभवः

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में समूह "क" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम पचीस वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

बशर्ते कि इस कुल पच्चीस वर्षों के अनुभव में से, उसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

7. मुख्य आयुक्त के कार्यालय की अवधि:

क. मुख्य आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो, तक होगा।

ख. एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल के लिए मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य कर सकता है बशर्ते कि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

ग. यदि कोई आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पद पर अपनी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति लेगा।

8. मुख्य आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य:

मुख्य आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और / या समय-समय पर यथासंशोधित इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार होंगें।

9. मुख्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें:

(1) छुट्टी:

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी पाने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

(2) छुट्टी यात्रा रियायतः

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत समकक्ष स्तर के समूह "क" के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

(3) मुख्य आयुक्त ऐसे चिकित्सा लाभों को पाने के हकदार होंगे जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत समकक्ष स्तर के समूह "क" के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

देबाला

10. <u>अवशिष्ट प्रावधान:</u>

मुख्य आयुक्त की सेवा की शर्त, जिसके संबंध में इन नियमों और आदेशों में फिलहाल कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वही है, जो भारत सरकार के सचिव पर लागू होती है।

11. पात्र अभ्यर्थी अपने दावे (दावों) के समर्थन में सहायक दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन 'रोजगार समाचार पत्र' में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के अंदर सुश्री देबाला भट्टाचार्जी, अवर सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 5 वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन को क्रमांकित पृष्ठों के साथ विधिवत रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसे कई भागों में नहीं बल्कि एकल इकाई के रूप में भेजा जाना चाहिए। सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। केंद्र / राज्य सरकार / पीएसयू / स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत आवेदकों को अग्रिम प्रति भेजने सहित, उचित माध्यम से भी अपना आवेदन भेजना आवश्यक होगा।

नोट- अधूरे आवेदनों या सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदनों या ऐसे अग्रिम आवेदन, जिसके लिए बाद में आवेदन उचित माध्यम से अग्रेषित नहीं किए गए हों या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई पत्राचार / उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

देबाला

देबाला
(देबाला भट्टाचार्जी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं: 011-2436-6027
ईमेल: debala.joarder@gov.in

संग्लनक : आवेदन के प्रपत्र में निहित अनुबंध।

प्रतिलिपि -

1. डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट।
2. ई-ऑफिस में अपलोड करने के लिए स्थापना / प्रशासन प्रभाग ।
3. मीडिया प्रभाग को समाचार पत्रों में लघु संस्करण प्रकाशित करने के लिए।

परिपत्र संख्या **16-08/2014-**डीआरसी/सीसीपीडी (पार्ट खंड- **II**) का अनुबंध

दिनांक : नवम्बर, 2023

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र

1. (क) नाम (बड़े अक्षरों में):

(ख) पते सहित दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी सहित:

2. (क) जन्मतिथि:

(ख) दिनांक 1.1.2025 को आयु

3. (क) शैक्षिक और अन्य योग्यताएं :

(ख) क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हैं (हां / नहीं)? यदि हां तो उसका विवरण दें:

(ग) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त में विवरण दर्शाएं)

4. अनुभव का विवरण:

(क) क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित कार्य या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में ग्रुप "ए" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव है? (हां/नहीं)

यदि हां, तो उसका ब्यौरा (आवेदन की तिथि तक कालानुक्रम अनुसार ब्यौरा दिया जाए):

क्र. स.	कार्यालय/विभाग/संगठन का नाम	क्या यह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या स्वैच्छिक संगठन है?	धारित पद के नाम और वेतनमान/सकल वेतन सहित पद का विवरण	कार्यकाल (दिन / माह / वर्ष से)	कार्यकाल (दिन / माह / वर्ष तक)	नियुक्ति की प्रकृति- क्या नियमित तदर्थ / प्रतिनियुक्ति / मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण सहित जहां लागू हो, किए गए कार्यों/नौकरी के विवरण की प्रकृति।

(ख) क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में ग्रुप "ए" स्तर के पद पर न्यूनतम 3 वर्ष (25 वर्षों में से) का अनुभव है? (हां नहीं)

यदि हां, तो उसका विवरण दें।

क्र. सं.	कार्यालय/विभाग / संगठन का नाम	क्या यह केन्द्र सरकार / राज्य और सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध सरकारी / स्वायत्त निकाय/राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन है?	धारित पद के नाम और वेतनमान / सकल वेतन सहित पद का विवरण	कार्यकाल (दिन/माह /वर्ष) से	कार्यकाल (दिन/माह /वर्ष) तक	नियुक्ति की प्रकृति क्या नियमित/तदर्थ/ प्रतिनियुक्ति/ मानद	दिव्यांगता क्षेत्र में अनुभव के विवरण जहां भी लागू हो सहित किए गए कार्यों / नौकरी का विवरण

5. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण दें, कृपया बताएं कि किसके तहत कार्य कर रहे हैं:-

i. केंद्र सरकारः

ii. राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनः

iii. मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान:

iv. विश्वविद्यालय / स्वायत्त या सांविधिक संगठन:

v. पंजीकृत निकाय (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, न्यास अधिनियम या राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त धर्मार्थ कंपनी):

vi. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी / सोसाइटी / संघ आदि

(यदि पंजीकृत निकाय है तो संगठन का आकार और उसका कार्यक्षेत्र दर्शाएं):

6. केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत आवेदकों के संबंध में एपीएआर और सतर्कता निकासी के बारे में विवरण।

(i). क्या वर्तमान में केंद्र सरकार / राज्य सरकार / पीएसयू / अर्ध-सरकारी/ स्वायत्त निकाय आदि में कार्यरत हैं- हां / नहीं

(ii) यदि हां, तो क्या आवेदन उचित माध्यम से भेजा गया है: हां/ नहीं

(iii) यदि हां, तो कृपया पिछले पांच वर्षों की एपीएआर की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें।

(iv). यदि हां, तो कृपया विभाग / संगठन के मुख्य सर्तकता अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित सतर्कता निकासी संलग्न करें।

7. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो, जिसका आप अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में उल्लेख करना चाहते हैं:

8. क्या अनु. जाति/अनु. जनजाति से संबंधित है/दिव्यांगजन है:

9. यदि आपके आवेदन के साथ उपलब्ध जानकारी / दस्तावेज अपर्याप्त हैं तो संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जिनसे अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है:

6

i). संपर्क 1

क) नाम:

ख) पता:

ग) दूरभाष संख्या:

घ) ईमेल:

ii). संपर्क 2

क) नाम:

ख) पता:

ग) दूरभाष संख्या:

घ) ईमेल:

10. प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज (नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा प्रदान किए गए दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित तालिका की अगली पंक्तियों में संलग्न किया जा सकता है):

क्र.सं.	दस्तावेज के प्रकार	प्रस्तुत किया गया है या नहीं (जहां भी लागू हो लगाएं) हां/नहीं		आवेदन में दस्तावेज़ की पृष्ठ संख्या
1	जन्म तिथि का प्रमाण (दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र / जन्म तिथि का प्रमाण (पत्र)			
2	श्रेणी प्रमाण पत्र (अनु. जाति/अनु.जनजाति/दिव्यांगजन)			
3	शैक्षणिक प्रमाण पत्र (अनिवार्य और वांछनीय)			
i)	अनिवार्य (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक)			
ii)	वांछनीय (क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार, या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है)			
4	अनुभव प्रमाण पत्र / नियुक्ति			

	आदेश और कार्यमुक्ति आदेश जिसमें रोजगार के प्रत्येक कार्यकाल के संबंध में कार्यकाल और कर्तव्यों की प्रकृति निर्दिष्ट की गई हो			
5	वर्तमान वेतन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो			
6	गैर सरकारी संगठनों/ अन्य राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अनुभव के मामले में नियोक्ता / संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र			
7	पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट (एपीएआर) की प्रतियां (यदि लागू हो)			
8	सतर्कता निकासी (यदि लागू हो)			

11. क्या उपरोक्त दावों के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं है? यदि हां, तो इसे प्रस्तुत नहीं करने का कारण:

उम्मीदवार का नाम और हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

पत्राचार के लिए (डाक और ईमेल सहित) पूरा पता ---